

(8) सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुर्नरूद्धार योजना) को निदेश है कि उक्त स्वीकृत राशि का रेखांकित चेक/R.T.G.S ग्राम निर्माण मंडल, खादी ग्रामाद्योग समिति के नाम तैयार कर भुगतान करेंगे।

अनुलग्नक:- उद्योग विभाग अधिसूचना संख्या-1511
दिनांक-29.03.2016 ।

ज्ञापांक-

खादी/4

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

पटना दिनांक- 18/4/2016

प्रतिलिपि- अध्यक्ष/मंत्री ग्राम ग्राम निर्माण मंडल सर्वोदय आश्रम, सेखोदेवरा नवादा/ उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुर्नरूद्धार योजना)/ प्रशाखा पदाधिकारी (खादी)/सहायक लेखा पदाधिकारी(प्र0)/निर्गत प्रभारी गार्ड एवं निजी सचिका बिहार राज्य खादी ग्रामाद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-

खादी/4

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

पटना दिनांक- 18/4/2016

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार पटना को उनके अधिसूचना ज्ञापांक- 1511 दिनांक-29.03.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

12/04/2016

अरुण
13/4/16

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
महेश भवन, गॉंधी मैदान (पूरब) पटना-4

संचिका संख्या-01/खा0 10/2015-16

कार्यालय आदेश

उद्योग विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना ज्ञापांक-1511 दिनांक-29.03.2016 के अनुपालन में खादी पुर्नरूद्धार योजना के अन्तर्गत प्रथम किस्त में प्राप्त राशि 14.830 करोड़ से ग्राम निर्माण मंडल सर्वोदय आश्रम, सेखोदेवरा नवादा को 1000 (एक हजार) नग मल्टी काउन्ट फाईवर चर्खा 08 तकुआ का (त्रिपुरारि मॉडल चर्खा) उपलब्ध कराने हेतु सहायक अनुदान के रूप में 1,59,99,000 (एक करोड़ उनसठ लाख निनान्वे हजार) रुपये निम्न शर्तों के अनुसार स्वीकृत की गई है-

(1) यह राशि बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्राम निर्माण मण्डल को उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) ग्राम निर्माण मण्डल द्वारा बिहार में स्थित खादी संस्थाओं को 1000 (एक हजार) नग मल्टी काउन्ट फाईवर चर्खा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका Specification, Controller General of Patents and Designs and trade Mark, भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रमाण में Registered Design No. 226616 एवं 226617 दिनांक-01.01.2016 में निहित है, जिसका Registered Design ग्राम निर्माण मण्डल, सेखो देवरा, नवादा को प्राप्त है।

(3) चर्खा संचालन एवं अन्य तकनिकी जानकारी ग्राम निर्माण मंडल द्वारा खादी संस्थाओं/समितियों को दी जाएगी।

(4) ग्राम निर्माण मण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गये मल्टी काउन्ट फाईवर चर्खा से कम-से-कम ₹0 175-200 प्रतिदिन मजदूरी के रूप में कतिनों को प्राप्त हो सकेगी।

(5) उक्त सहायक अनुदान की स्वीकृत राशि में से दो चरणों में 1000 (एक हजार) मल्टी काउन्ट फाईवर चर्खा 08 तकुआ का (त्रिपुरारि मॉडल चर्खा) के लिए राशि का भुगतान बोर्ड द्वारा ग्राम निर्माण मण्डल को किया जायेगा। प्रथम चरण में 500 मल्टी काउन्ट फाईवर चर्खा 08 तकुआ का (त्रिपुरारि मॉडल चर्खा) के लिए मो0-79,99,500 (उन्नासी लाख निनान्वे हजार पाँच सौ) रुपये मात्र ग्राम निर्माण मंडल, सर्वोदय आश्रम, सेखोदेवरा नवादा को किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

(6) ग्राम निर्माण मंडल सर्वोदय आश्रम, सेखोदेवरा नवादा द्वारा खादी संस्था/समिति को निम्न चरणों में संस्था/समिति को चर्खा उपलब्ध कराया जायेगा-

- (क) माह मई 2016 में 300 चर्खा
- (ख) माह जुन 2016 में 300 चर्खा
- (ग) माह जूलाई 2016 में 400 चर्खा

(7) उक्त स्वीकृत राशि मो0-79,99,500 (उन्नासी लाख निनान्वे हजार पाँच सौ) रुपये मात्र का भुगतान खादी पुर्नरूद्धार योजना मद में प्राप्त राशि से किया जाएगा।